

राजस्थान सरकार  
Government of Rajasthan  
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग  
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,

खनिज भवन / Khanij Bhawan, उदयपुर / Udaipur-313001.  
दूरभाष / Phones: 2415091-95, फेक्स / Fax: (0294)-2410526

क्रमांक: निखाभू/प्रधान/सीसी-2/विविध/2016-17/ 897 दिनांक: 28.11.2016

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
खान एवं भू विज्ञान विभाग,  
बीकानेर/जोधपुर/अजमेर (राज0)


विषय:- जिप्सम के परमिट जारी करने के संबंध में गाईडलाईन  
प्रसंग:- निदेशालय पत्र क्रमांक: निदे/प-2/कास/नियम/2016/कैम्प-  
जयपुर -स्पे-1 दिनांक 22.11.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 22.11.2016 से खनिज जिप्सम के परमिट जारी करने के सम्बन्ध में गाईड लाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की गई थी। उक्त गाईड लाईन के बिन्दु संख्या-8 के (अ) एवं (स) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

- (अ) "माईनिंग स्कीम" के स्थान पर "सिम्पलीफाईड माईनिंग स्कीम" पढा जावे।  
(स) "प्रतिभूति राशि रूपये 40,000/- प्रति हैक्टेयर की दर से (एफडीआर/एनएससी जो सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के पक्ष में प्लेज हो)" के स्थान पर "प्रतिभूति राशि 40,000/- (एफडीआर/एनएससी जो सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के पक्ष में प्लेज हो)" पढा जावे।

भवदीय,

  
(डी.एस.मारु)  
निदेशक

क्रमांक: निखाभू/प्रधान/सीसी-2/विविध/2016-17/ 898-909 दि: 28.11.16  
प्रतिलिप निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. जिला कलक्टर, बीकानेर/हनुमानगढ/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/बाडमेर/नागौर/जालोर/चुरु
3. अतिरिक्त निदेशक (खान) जोधपुर/जयपुर
4. रक्षित पत्रावली ।

  
निदेशक